12- ipk;rh jkt foHkkx

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 7154.22 लाख
- राज्य आयोजना मद 7154.22 लाख
- केन्द्रीय योजना मद शुन्य

लक्ष्य एवं उदेश्य

- ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना।
- भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना।
- गावों में पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था करना एवं गलियों को पक्का करवाना।
- सभी ग्रामीण परिवारों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना।
- कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना।
- परिवार के जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर पारिवारिक सहायता उपलब्ध कराना।

ipk;rh jkt foHkkx dk nf"V i=

राज्य की 76 प्रतिशत से अधिक जनसख्या गांवों में निवास कर रही है तथा यह भी सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास से ही राज्य सुदृढ आर्थिक विकास एवं कल्याण की ओर अग्रसर हो सकता है। पंचायती राज विभाग का मुख्य उद्धेश्य रोजगार ग्राम पंचायतों को सुदृढ बनाते हुए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो में परिसम्पतियों का सृजन कर ग्रामीण विकास की गति को तीव्र से तीव्रतम करना है। रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन के लिए सामान्य रूप से क्रियान्वित कार्यक्रमो के साथ ही विभाग द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिए विशिष्ट योजनाएं भी हाथ में ली गयी है। यह योजनाएं मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आधारभूत ढांचे के विकास एवं क्षेत्रीय विषमता दूर करने के उद्धेश्य से संचालित की जा रही है। वर्तमान में नागौर जिले की स्थिति इस प्रकार है –

11-1 oreku fLFkfr

• कुल जनसंख्या	27.75 लाख
• ग्रामीण जनसंख्या	22.29 लाख
• अनुसूचित जाति का प्रतिशत	19.65 प्रतिशत
• अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत	0.23 प्रतिशत
• कुल कार्यशील जनसंख्या	11-30 yk[k
• कृषक	5.15 लाख
• कृषि श्रमिक	0.50 लाख
• गृह उद्योग कामगार	0.27 लाख
• अन्य कामगार	2.52 लाख
• सीमान्त कामगार	2.85 लाख

11-2 ;ktuk d y{;

- ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाना।
- भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना।
- गावों में पानी निकासी की पुख्ता व्यवस्था करना एवं गलियों को पक्का करवाना।
- सभी ग्रामीण परिवारों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना।
- कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना।
- परिवार के जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर पारिवारिक सहायता उपलब्ध कराना।
- न्यायालयों में वाद में कमी लाना।

11-3 ;kstuk esa y{;ksa dh ifrZ gsrq dk;Z ;kstuk

¼1½ xzke iapk;rksa dk lqn`<hdj.k &

योजना में जिले की ग्राम पंचायत को सुदृढ बनाने पर जोर दिया जाकर आदर्श ग्राम पंचायतें चिन्हित की जा रही है तथा चिन्हित ग्राम पंचायतों पर समुचित विकास कार्य करवाये जा रहे है।

¼2½ Hkwfeghu ifjokjksa dks Hkwfe miyC/k djkuk &

योजनान्तर्गत जिले में भूमिहीन परिवारों को पंचायत राज अधिनियम के तहत निशुल्क/अनुदानित दर पर भूखण्ड उपलब्ध करवाया जाकर ग्रामीणों परिवारों के स्थाई निवास की व्यवस्था की जा रही है।

¼3½ xkoksa esa ikuh fudklh dh iq[rk O;oLFkk djuk ,oa xfy;ksa dks iDdk djokuk &

- टी.एफ.सी./एस.एफ.सी. योजना के तहत खरंजा सड़क का निर्माण गांवों के कच्चे रास्तों एवं गलियों को पक्का किया जायेगा ।
- संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बी.पी.एल. परिवारों के घरों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाया जावेगा तथा ए.पी.एल. परिवारों को प्रेरित कर 90 प्रतिशत परिवारों में शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जावेगा।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रो के साथ ही साथ सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया जावेगा।
- घरों के पानी से गलियों में जहां कीचड़ फैलता है वहां ग्रामीण विकास की योजनाओं या लोगों को प्रेरित कर सोखते गढ्ढों का निर्माण कर गलियां कीचड़ रहित बनायी जावेंगी ताकि सामुदायिक स्वच्छता को बढावा मिले।

¼4½ lHkh xzkeh.k ifjokjksa dks fnu esa nks ckj Hkkstu miyC/k djokus dh O;oLFkk djuk

- बेसहारा लोगों को जिनको मुश्किल से एक वक्त भोजन उपलब्ध होता है उनको अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वित कर 10 किग्रा निःशुल्क गेहूं प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जावेगा।
- ऐसे परिवार, जिनको दिन में एक बार भोजन मिलता है, उनमें से बी.पी.एल. परिवारों को अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 35 किग्रा गेहूं प्रतिमाह 2 रूपये प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध करवाया जावेगा।
- ऐसे परिवार जिनको दिन में दो बार लेकिन कभी–कभी भोजन उपलब्ध होता है, उनको ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में रोजगार उपलब्ध करवाकर दो समय के भोजन के योग्य बनाया जावेगा।

¼5½ d{kk 1 ls 8 rd ds leLr Nk=ksa dks nksigj dk Hkkstu miyC/k djkuk &

कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्रों को दोपहर का निःशुल्क भोजन विद्यालय प्रांगण में ही उपलब्ध कराया जायेगा। निशुल्क भोजन व्यवस्था हेतु समस्त विद्यालयों में कीचन शेड निर्माण का कार्य भी हाथ में लिया गया है।

¼6½ ifjokj ds thfodksikttZd dh eR;q gksus ij ikfjokfjd lgk;rk miyC/k djkuk –

राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर 10,000/– रू. की

आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती रही। योजना 15 अगस्त 2006 से बंद की जाकर इसके स्थान पर पन्नाघाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) प्रारम्भ की गई है।

11-4 y{;k rd igpu gr foHkkxh; dk;Øeokj fo'y"k.k

गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों के लिये परिसम्पतियों का सृजन और बेरोजगारी को दूर करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उदेश्यों की पूर्ति हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा जिले में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण एवं वर्ष 2007–2012 में रखे गये प्रस्तावित प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है :–

11-4-1 fj;k;rh nj ij vkoklh; Hkw[k.M vkoVu %&

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158, 158 (1) व 158 (2) के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो के कमजोर वर्गो के परिवारों को ग्राम पंचायतो द्वारा 150 वर्ग गज का आवासीय भूखण्ड रियायती दर पर उपलब्ध करायें जाते है। इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो मे निम्नांकित कमजोर वर्गो के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 20,000/– से अधिक नहीं हो तथा ग्राम मे स्थाई निवास कर रहे हो तथा जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं हो पात्र होंगे। अनु.जाति/अनु.जन.जाति के परिवार, स्वच्छकारों व पिछड़े वर्गो के परिवार, ग्रामीण कारीगर (आर्टिजन परिवार), श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन परिवार, बी.पी.एल. चयनित परिवार, गाड़िया लुहार, यायावर (घूमक्कड़) जातियो के परिवार, विकलांग व्यक्ति, ऐसे बाढ़ग्रस्त परिवार जिनके गृह बाढ़ मे बह गये है या गृह या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है।

इस योजना के तहत प्रतिवर्ष प्रति ब्लॉक 100 भूखण्ड आबंटन के लक्ष्य निर्धारित किये जाकर जिले की 11 पंचायत समितियों हेतु योजना अवधि में 1100 भूखण्ड आबंटन करने के लक्ष्य रखे गये हैं।

11-4-2 jk"Vh; ikfjokfjd lgk;rk@iUuk/kk; ;ktuk %&

राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18 से 64 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर 10,000/– रू. की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती रही। योजना 15 अगस्त 2006 से बंद की जाकर इसके स्थान पर पन्नाघाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जाकर पीड़ित परिवार को योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है।

11-4-3 rgjok foRr vk;kx %&

तेहरवें वित आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान के उपयोग के पूर्ण किये जाने वाले प्रमुख उददेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना। ग्रामीण स्वच्छता की व्यापक अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसम्पतियों, विधालयों आदि में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शौचालय/मूत्रालय का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढंग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ सफाई और स्वच्छता बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना। पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित परिसम्पतियों का रख रखाव एवं समुचित संधारण करने के उपयोग मे लिया जावेगा।

11-4-4 jkT; foRr vk;kx %&

संविधान के अनुच्छेद 243–आई और 243–वाई तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के उपबन्धो के अनुसरण मे एवं पंचायती राज संस्थाओ को वितीय संसाधन् आवंटित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ राज वित्त आयोग को गठन किया गया था।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुसंशाओ के अनुसार पंचायती राज संस्थाओ के तीनो स्तर यथा ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद्ो को वितरण की जाने वाली हिस्सा राशि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अनुरूप है, लेकिन ग्राम पंचायतो द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी रूप मे पर्यवेक्षण करने के लिए आयोग ने पंचायत समिति और जिला परिषदो को कुछ अधिक राशि दिये जाने का निर्णय लिया है। तदनुसार कुल वितरण योग्य राशि मे से 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 12 प्रतिशत पंचायत समिति और 3 प्रतिशत जिला परिषद्ो को दिये जाने की सिफारिश की हैं। जिलेवार वितरण के बाद पंचायत समितियो ओर ग्राम पंचायतो को राशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता हैं।

11-4-3 fuc/k %&

पंचायती राज संस्थाओं के तीनो स्तर यथा ग्राम पंचायत,पंचायत समिति और जिला परिषद्ो को तेहरवें वित्त आयोग की सिफारशों के अनुरूप निर्बन्ध कोष के तहत अनुदान राशि उपलब्ध करवायी जाती है। कुल वितरण योग्य राशि मे से 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 12 प्रतिशत पंचायत समिति और 3 प्रतिशत जिला परिषद्ो को दिये जाने का प्रावधान है।